P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-I*September-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिलाओं की प्रस्थिति,समस्याएं एवं समाधान

श्रमवीर सिंह कुशवाह
वरिष्ठ प्रवक्ता,
समाजशास्त्र विभाग,
आर0 बी0 एस0 कॉलेज,
आगरा,

सारांश

भारत में प्राचीन काल से ही नारियों को उच्च एवं सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वैदिक काल को स्त्रियों की प्रस्थिति के मामले में स्वर्णयुग कहा जा सकता है, लेकिन धीरे–धीरे महिलाओं की प्रस्थिति में गिरावट आती चली गई। इसके कई तात्कालिक कारण थे। ब्रिटिशकाल में कुछ समाज सुधारकों नें महिलाओं की प्रस्थिति को सुधारने के कई प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए। स्वतंत्रता के वक्त महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। कई प्रावधानों एवं प्रयासों के बावजूद आज भी महिलाओं की प्रस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में सरकारें कई प्रयास भी कर रहीं हैं।

मुख्य शब्द : लैंगिक असमानता, संस्कृति, प्रस्थिति, उपनिवेशकाल, उत्तराधिकारी, औद्योगीकरण, नगरीकरण, साक्षरता, लिंगानुपात, अर्जनशील व्यवसाय, समानता, पितृ सत्तात्मक, कुपोषण, बेरोजगारी, सहभागिता, महिला सशक्तिकरण, मानवधिकारों, सांवैधानिक।

प्रस्तावना

महिला और पुरूष गाड़ी के दो पहियों के समान हैं, जब तक दोनों में समता न होगी जिंदगी की गाड़ी सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सकती। कोई समाज तभी उन्नति एवं प्रगति कर सकता है, जब महिला और पुरूष दोनों के द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास किए जाएं। एक आदर्श समाज की स्थापना हेतु महिला और पुरूषों के बीच लैंगिक असमानता को मिटाना होगा। यदि किसी कारणवश समाज में लैंगिक असमानता है तो उनके कारणों को खोज कर समूल नष्ट करना होगा। हम कितनी भी प्रगति कर लें जब तक महिलाएं पिछड़ी रहेंगी, तब तक उस प्रगति के कोई मायने नहीं है।

उद्देश्य

महिलाओं की प्रस्थिति, समस्याओं एवं समाधान का अध्ययन करना।

महिलाओं की बदलती प्रस्थिति

सर्वविदित है कि प्राचीन काल में महिलाओं की प्रस्थिति अत्यंत उच्च थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त थी। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते है। महाभारत में भी कहा गया है कि 'अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा' अर्थात् पत्नि पुरूष का आधा अंग होती है। पत्नि सबसे श्रेष्ठ मित्र होती है।[1]

भारतीय संस्कृति में नारियों का सदैव सम्मान रहा है। यह विशेषता कभी पूर्ण कांति पर रहती और कमी मंद हो जाती, परंतु इसकी प्रभा कभी लुप्त नहीं हुई।[2] सम्मान, समानता, अधिकारिता एवं गौरव की दृष्टि से वैदिककाल स्त्रियों के लिए स्वर्णयुग था।[3] उधर हरीत के अनुसार प्राचीनकाल में महिलाओं की दो श्रेणियों हुआ करती थीं। एक ब्रह्मवादिनियां एवं दूसरी सद्योवधु। ब्रह्मवादिनियां वे स्त्रियां थी जो ब्रह्मविद्या में निपुण होती थीं एवं सद्योवधु अपने विवाह होने तक अध्ययन करती थी। इसके पश्चात् एक गृहपत्नि के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती थी।[4]

ऋग्वेद के अनेक सूक्त कई विदुषी महिलाओं के योगदान का फल हैं। घोषा, रोमशा, विश्वारा, प्रलोभतनयाशची, आपाला आदि कई ऋषिपद प्राप्त महान महिलाएं रहीं हैं।[5]

पौराणिक काल में स्त्रियों की प्रस्थिति में गिरावट आना प्रारम्भ हो गई। सामाजिक क्षेत्र में पूर्व यौन परिपक्व विवाह प्रारम्भ हो गए, विधवा विवाह निषेध हो गए एवं शिक्षा के दरवाजे स्त्रियों के लिए बंद हो गए। पति को स्त्री का परमेश्वर माना जाने लगा और महिलाओं को संपत्ति से भी वंचित कर दिया गया।[6]

ब्राह्मण एवं पुराणों के काल में स्त्रियों पर अनेक अन्यायपूर्ण एवं अनुचित प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन बौद्धकाल में स्त्रियों की प्रस्थिति में थोड़ा

सुधार हुआ। धार्मिक क्षेत्र में उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया गया। संघ में स्त्रियों सांस्कृतिक कार्यक्रमों समाज सेवा तथा सार्वजनिक जीवन में अनेक स्थलों पर भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराए गये। इससे सामाजिक रूप से तो महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार हुआ परंतु उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया।[7]

मध्ययुग आते–आते महिलाओं की प्रस्थिति में और अधिक गिरावट आना प्रारंभ हो गई। विदेशी आक्रमणों से असुरक्षा का वातावरण तैयार हो गया। बाल–विवाह, सतीप्रथा, जौहर, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण एवं पर्दा प्रथा जैसी कई कुरीतियों नें समाज में पैर पसार लिए।[8] मध्य काल में जहाँ अनेक कारणों से स्त्रियों की दशा दयनीय हो गई थी वहीं धार्मिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए भक्ति आन्दोलन एवं संतो के प्रयास भी देखे गए। महिलाओं को धार्मिक पूजा पाठ, धार्मिक स्वतंत्रता, पर्दाप्रथा की समाप्ति लिए रामानुजाचार्य, चैतन्य, नानक, कबीर, तुलसी, मीरा, तुकाराम आदि ने उल्लेखनीय प्रयास किए।[9]

उपनिवेशकाल में भी तमाम सामाजिक कुप्रथाएं यथावत बनी रहीं। कुलीनता की धारणा के कारण उपनिवेशकाल में दहेज प्रथा का प्रचलन हो गया था। जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों को एक भार के रूप में देखा जाने लगा परन्तु इस युग में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, रानाडे, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद तथा श्रीमती एनी बीसेंट के प्रयासों से भारत में पारिवारिक सामजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं की प्रस्थिति में अनेक सुधार हुए। ब्रिटिश सरकार ने भी महिलाओं की प्रस्थिति के सुधार हेतु अनेक अधिनियम पास किए।[10]

भारतीय महिलाओं की वर्तमान प्रस्थिति स्वतंत्रता के पश्चात सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं महिला चेतना संगठनों के प्रयासों का ही फल है। आज महिलाओं को पुरूष के समान स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। महिलाएं अपने जीवन साथी का चुनने के लिए स्वतंत्र है। आर्थिक क्षेत्र में वह आगे बढ़ रही है, विवाह विच्छेद का आज उन्हें अधिकार प्राप्त है और पारिवारिक संपत्ति में उन्हें उत्तरधिकार प्राप्त है। राजनैतिक क्षेत्र में भी महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगीकरण, नगरीकरण, एकाकी परिवारों की वृद्धि, महिलाओं की सामाजिक चेतना में वृद्धि, अन्तर्जातीय व प्रेम विवाहों के प्रचलन, संचार एवं यातायात की सुविधाओं में वृद्धि एवं कानून की वजह से भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार हुआ है लेकिन महिलाओं की प्रस्थिति का यह एक पहलू है। दूसरी तरफ अभी भी महिलाओं को शैक्षिक पिछड़ापन, रोजगार, की समस्या, स्वास्थ्य एवं पोषण, राजनैतिक पिछड़ापन, बालविवाह, हिंसा, दहेज, यौन अपराध, भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।[11] यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो महिलाओं की समाज में बढ़ती भागेदारी पितृ सत्तात्मक सोच को बहुत रास नहीं आ रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाएं पोषण, साक्षरता व लिंगानुपात तीनों में अत्यंत चिंतनीय स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के मानव विकास सूचकांक के अनुसार प्रत्येक एक लाख बच्चों के जन्म पर 450 माताओं की मृत्यु हो जाती है। 0–5 वर्ष आयु वर्ग की बाल मृत्युदर में भी भारत का प्रथम स्थान है। इसी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 27% लड़कियां ही माध्यमिक व उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाती है।[12]

प्रमुख समस्याएं

भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ है पर अभी भी कई मायनों में वे पुरूषों से काफी पीछे है। आज भी महिलाओं के प्रति बहुत स्थानों पर भेदभाव की घटनाएं सुनाई पड़ जाती है। वर्तमान में महिलाओं को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

1. शिक्षा के मामले में अभी भी महिलाएं काफी पीछे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है जो पुरूषों की साक्षरता दर 82.14% की तुलना में काफी कम है। वर्ष 2003–04 में प्राथमिक स्तर पर 28.57%, प्रारम्भिक स्तर पर 52.90% तथा माध्यमिक स्तर पर 64.90% लड़कियों में पढ़ाई छोड़ दी।[13]
2. वर्तमान में हमारा देश भारत बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा हैं। कई पढ़े लिखे एवं योग्य व्यक्तियों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग बेरोजगार व्यक्ति होते है, जिनमें महिलाओं का अनुपात बहुत अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के श्रम क्षेत्र में महिलाओं की कुल सहभागिता मात्र 25.60% है जो पुरूषों की तुलना में बहुत कम है। उसमें भी मात्र 20% महिलाएं ही सम्मानजनक अर्जनशील व्यवसाय से जुड़ी हुई है। शेष 80% महिलाएं असंगठित महिला मजदूरों के रूप में कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं। आज भी उन्हें असम्मानजनक वातावरण एवं कम मजदूरी में काम करना पड़ता है। समान मजदूरी कानून 1976 के कार्यशील होने के बावजूद भी यह स्थिति बनी हुई है। कम वेतन और सहयोगियों द्वारा शोषण का सामना शेष 20% अर्जनशील महिलाओं को भी करना पड़ता है।[14]
3. महिलाओं का राजनीतिक पिछड़ापन भी महिलाओं के सामने एक बड़ी बाधा है। भारत में 2009 तक 15 लोकसभा चुनावों में महिलाओं की सहभागिता 10.81% आंकड़े को छू पाई हैं, जो बहुत कम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 भारत के सभी स्त्री–पुरूषों को राजनीतिक समानता का हक देते हैं। इसके बावजूद भी हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में काफी पीछे हैं।[15]
4. स्वास्थ्य के मामले में भी महिलाएं पुरूषों की तुलना में पिछड़ती नजर आती है। पितृ सत्तात्मक परिवारों की परम्परानुसार महिलाओं का परिवार में स्थान गौंण ही रहा है। उनके पोषण एवं स्वास्थ्य पर लड़कों की तुलना में कम खर्च किया जाता है। गरीबी एवं स्वास्थ्य विषय पर मुंबई, कोलकाता, और चेन्नई जैसे महानगरों में कराए गए अध्ययन से ज्ञात होता है कि

लड़कों की तुलना में लड़कियाँ श्रेणी–2 और श्रेणी–3 के कुपोषण की शिकार होती है। 13–18 वर्ष की लड़कियों में लौहतत्व की कमी पाई जाती है। पितृ सत्तात्मक परिवारों की प्रधानता के कारण लड़कियों को लड़कों की तुलना में वस्तुओं, सेवाओं और स्वास्थ्य आदि के मामले में कम हिस्सा मिलता है। खराब स्वास्थ्य के परिणामस्वरूप माताओं की ऊंची मृत्युदर, कम वजन के शिशुओं का जन्म, प्रसव–पूर्व महिला की मृत्यु और स्वतः गर्भपात जैसी मुश्किलें सामने आती हैं।[16] अधिकतर परिवारों में महिलाओं के अत्यधिक कार्य करने के बावजूद भी उनकी खुराक पर पुरूषों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है। महिलाओं की भुखमरी व कुपोषण के प्रमुख कारण गरीबी, अन्न की कमी, परिवार में महिला की निम्न स्थिति, रूढ़ियाँ और परम्परायें हैं।[17]

5. पितृ सत्तात्मक समाज की स्त्रियों की निम्न स्थिति के फलस्वरूप महिलाओं के प्रति यौन शोषण एवं यौन उत्पीडन की घटनायें सुनाई देती रहती हैं। जो कई रूपों जैसे वैश्यावृत्ति, बलात्कार, विज्ञापन में अश्लील प्रदर्शन, छेड़छाड़ आदि के रूप में होती हैं।[18] क्राइम इन इंडिया, 2012 की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 20 मिनट में एक बलात्कार, 11 मिनट में छेड़छाड़, 12 मिनट में एक अपहरण और 61 मिनट में एक दहेज हत्या का अपराध होता है।[19]
6. भारत में दहेज एक कुप्रथा के रूप में अभी भी विद्यमान है। यह समस्या दिन–प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। दहेज के लिये स्त्रियों को तरह–तरह से परेशान किया जाता है । कई बार महिलायें आत्महत्या कर लेती हैं। दहेज निरोधक कानून प्रभावी होने के बावजूद यह कुप्रथा आज भी प्रचलित है।[20] राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपार्ट 2007 के अनुसार भारत में प्रत्येक 77 मिनट में एक दहेज हत्या होती है।[21]
7. भारत के संविधान में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण आादि संबंधी सांवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद महिलाओं को पुरूषों की तुलना में दोयम दर्जा प्राप्त है। भारतीय परिवारों में सामान्यतः लिंग भेद देखने को मिल जाता है। जन्म से ही महिला को भेदभाव का शिकार होना पडता है। कई बार महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट उठाने पडते हैं। अपने सम्मान और लोकलाज के कारण से महिलाएं घरेलू हिंसा का प्रतिकार भी नहीं कर पातीं और न ही इसके विरुद्व आवाज उठा पातीं हैं।[22]

समाधान के प्रयास

भारतीय समाज में नारी का सम्माननीय स्थान था लेकिन कालांतर में परंपराओं और कुरूतियों के कारण उसकी स्वतंत्रता सीमित होती चली गयी। उसे चार दीवारी में कैद कर दिया गया लेकिन संतोष की बात यह है कि नारियो की स्थिति में अब धीरे–धीरे सुधार हो रहा है। सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण एवं उनकी दशा सुधारने हेतु अनेक प्रयास किये हैं। भारतीय संविधान, सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के फलस्वरूप नारियों की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं।

1. संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के अन्तर्गत लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे लैंगिक भेदभाव की स्थितियां सुधर रहीं हैं। साथ ही 15(2) के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के लिये अलग से नियम बनाने की भी अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243(D) एवं 243(T) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकाय के सदस्यों एवं उनके प्रमुखों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित करने की व्यवस्था की गयी है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13(3) अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51(E) के द्वारा महिला अधिकारिता को संविधान में संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित ''महिला दिवस'' मनाया जाता है एवं 9 दिसम्बर को भारत सरकार द्वारा बालिका दिवस घोषित किया गया है।[23]
2. 9 सितम्बर 2005 को 'पैतृक संपत्ति' में बेटे के समान बेटी (साथ ही बेटे के बच्चो के समान ही पुत्रियो के बच्चों) को भी समान दर्जा देने की व्यवस्था को अधिकार प्रदान करने वाला कानून (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा– 6 में संशोधन) प्रभावी हो गया है।[24]
3. घरेलू हिंसा द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले कृत्यों को मूलभूत अधिकारों एवं महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला माना गया है। ऐसा कोई भी कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15 तथा 21 के प्रावधानों के प्रतिकूल भी है। घरेलू हिंसा की घटनाओं के निवारण हेतु दीवानी कानून की कमी अनुभव की जा रही थीं। इसकी पूर्ति हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लोकसभा द्वारा 24 अगस्त 2005 को पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा इसे 29 अगस्त 2005 को पारित कर दिया गया। इसे महामहीम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 13 सितम्बर 2005 को सहमति प्रदान कर दी गई। यह 26 अक्टूबर 2006 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में प्रभावी हो गया।[25] घरेलू हिंसा अधिनियम में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मौखिक, एवं यौन दुर्व्यवहार के विरूद्ध अनुतोष का प्रावधान किया गया है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता की सुरक्षा हेतु कई आदेश पारित किये जा सकते है– संरक्षण आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक आदेश एवं प्रतिकर आदेश। संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए एक वर्ष का कारावास या 20,000 रू0 जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है।[26]
4. महिलाओं के सांवैधानिक व कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को उचित तरीके से लागू करने के लिए 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित नीति 1992 व इसकी कार्य योजना में

महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कम से कम एक तिहाई छात्राओं को अवश्य प्रवेश दिलाने के लिए प्रोत्साहन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में संशोधित नीतिगत प्रावधनों के अनुसार भविष्य में अध्यापकों की भर्ती में 50% महिलाएं होनी चाहिए।[27]

5. 16 दिसम्बर 2013 को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा संबंधी 'निर्भया कोष' के संदर्भ में तीन प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये तीन प्रस्ताव क्रमशः सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से गृह मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं। इन प्रस्तावों के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल हैंडसेटों में 'एसओएस' अलर्ट प्रणाली की अनिवार्यता, पुलिस प्रशासन का मोबाइल फोन नेटवर्क के साथ एकीकरण, सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 'जीपीएस' की व्यवस्था अनिवार्य किए जाने, सार्वजनिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, विशेष क्षेत्रों में रेलगाड़ियों में 'एसओएस' अलर्ट प्रणाली की व्यवस्था एवं विशेष निर्भया कोष की स्थापना इत्यादि सम्मिलित है।[28]

6. महिलाओं की प्रस्थिति को सुधारने हेतु अनेक सांवैधानिक प्रयास हुए हैं, उनमें से प्रमुख हैं–

i. सती प्रथा निरोधक अधिनियम,1829
ii. विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,1856
iii. बाल विवाह निरोधक अधिनियम,1929
iv. विशेष विवाह अधिनियम,1954
v. हिंदू विवाह अधिनियम,1955
vi. हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956,
vii. हिंदू नाबालिग तथा संरक्षता अधिनियम, 1956
viii. हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956,
ix. दहेज निरोधक अधिनियम, 1961
x. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
xi. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौनउत्पीड़न (रोकथाम) अधिनियम, 2013

7. भारत में बालिकाओं, महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रहीं हैं।

i. भारत सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाएं–राष्ट्रीय महिलाकोष, धनलक्ष्मी योजना, स्वाधार, जननी सुरक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, 'सबला' किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना।
ii. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्याविद्या धन योजना, पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियाँ ।
iii. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्याधन योजना ।
iv. हरियाणा सरकार द्वारा लाड़ली योजना ।
v. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बेटी है अनमोल योजना, इंदिरा गाँधी बालिका सुरक्षा योजना।
vi. राजस्थान सरकार द्वारा राजलक्ष्मी योजना।
vii. दिल्ली सरकार द्वारा लाड़ली योजना, आदि चलाई जा रहीं हैं।

बाधाएं एवं रूकावट

1. महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा रूढ़ियाँ एवं परम्पराएँ हैं। पितृ सत्तात्मक परिवारों में आमतौर पर उन महिलाओं को अच्छा माना जाता है जो चारदीवारी में रहती हैं और परम्पराओं एवं रूढ़ियों को मानने वाली होती हैं।[29]
2. महिलाओं की प्रस्थिति में अपेक्षित सुधार न हो पाने के सबसे बड़े कारण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक असमानताएं हैं। भारत में घटता बाल लिंगानुपात असमानता का स्पष्ट संकेत है। लालन–पालन में भी लड़के–लड़कियो में समानता दिखाई नहीं देती।[30]
3. बाल–विवाह, दहेज प्रथा, पर्दाप्रथा जैसी कुप्रथाओं के प्रभाव से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक दृष्टि से दबी रहती हैं।[31]

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि महिलाओं की प्रस्थिति में उतार–चढ़ाव रहा है। जहाँ वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति उच्च थी, कालांतर में निरन्तर गिरती चली गई। वर्तमान में हुए प्रयासों की वजह से उनकी प्रस्थिति में सुधार हो रहा है पर आज भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ईमानदारी से प्रयास किए जाएं तो महिलाओं की प्रस्थिति को सुधारा जा सकता है। समस्याएं एवं बाधाएं है पर ऐसी नहीं कि उन्हें दूर न किया जा सके। इस दिशा में समग्र समाज को प्रयास करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनि जी म0 (2006) 'भारतीय वाड्.मय में नारी' यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ019
2. वही, पृ0 25
3. वही, पृ0 31
4. प्रभु पन्धारीनाथ एच0 'हिन्दू समाज की व्यवस्था' पोपूलर प्रकाशन प्रा0लि0 बम्बई, पृ0 352
5. आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्र मुनि जी म0 (2006) 'भारतीय वाड्.मय में नारी' यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 32
6. आहूजा, राम (2004) 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' श्रीमती प्रेम रावत, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ0 84
7. वही, पृ0 84–85
8. सिंह, डॉ0 अमिता (2015) 'लिंग एवं समाज' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 132
9. वही
10. वही पृ0 133
11. अग्रवाल, डॉ0 अमित (2013) 'भारतीय समाजिक समस्यायें' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 171–179

12. त्रिपाठी, गोपाल कृष्ण (2013) 'महिला समाख्या वैदिक युग से अब तक' प्रतियोगिता दर्पण, आगरा, फरवरी, पृ0 1072
13. अग्रवाल, डॉ0 अमित (2013) 'भारतीय सामाजिक समस्यायें' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 172
14. वही, पृ0 172–173
15. वही, पृ0 174–175
16. कुमार, अनंत (2001) 'गरीबी और किशोरियों का स्वास्थ्य' योजना, नई दिल्ली, अक्तूबर, पृ0 11–14
17. सिंह, डॉ0 अमिता (2015) 'लिंग एवं समाज' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 294–295
18. महाजन, डॉ0 धर्मवीर, महाजन, डॉ0 कमलेश (2010) 'भारतीय समाज : मुद्दे एवं समस्याएँ' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 46–47
19. बघेल, डॉ0 डी0एस (2015) 'अपराधशास्त्र' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 165
20. परांजपे, डॉ0 ना0वि0 (2011) 'अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन' सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ0 145
21. अग्रवाल, डॉ0 अमित (2013) 'भारतीय सामाजिक समस्यायें' विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 179
22. परांजपे, डॉ0 ना0 वि0 (2011)' अपराध शास्त्र एवं दण्डशास्त्र' सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ0 142
23. रावत 'चंचल', बी0एस0 (2015) 'महिला सशक्तिकरण : भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास' प्रतियोगिता दर्पण, आगरा, दिसम्बर, पृ0 95–97
24. वही
25. पाण्डेय, डॉ0 मधु (2012) 'महिलाएं एवं अपराध विधि' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ0 87–88
26. शर्मा, जी0एल0 (2015) 'सामाजिक मुद्दे' रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ0 426
27. अग्रवाल, अनिल (संपादक) (2013–14) 'भारत में महिला सशक्तिकरण' निबंध श्रृंखला भाग–2 मंथन प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0 91–93
28. शर्मा, जी0एल0 (2015) 'सामाजिक मुद्दे' रावत पब्लिकेशन, जयपुर पृ0 426
29. रावत 'चंचल', बी0एस0 (2015) 'महिला सशक्तिकरण : भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास' प्रतियोगिता दर्पण, आगरा, दिसम्बर पृ0 95–97
30. वही
31. वही